

05/04/24

पत्रावली पेश इरी अप्रार्थित उपस्थित।
अप्रार्थी की ओर से सार्चना पत्र प्रस्तुत
कर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में
लगाया जाना बताया, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
दस्तावेज साक्षि पत्रावली किया जाए। प्रकरण में
उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय उपरांत पेश
वैने पर पत्रावली प्रस्तुत/पेश की जाय।

L

जिला न्यायालय जोगपुर (सिपि)